

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ

पीठासीन अधिकारी: ओमप्रकाश सहारण RAS

राकेश कुमार बनाम विकास अधिकारी पंचायत समिति घडसाना। प्रकरण संख्या 07/23
निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम

निर्णय

दिनांक :-03.05.2024

पत्रावली पेश हुई निगरानीकर्ता राकेश कुमार एवं अधिवक्ता तिलक चुघ स्वयं उपस्थित आए एवं प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें प्रार्थी राकेश कुमार प्रकरण को आगे की कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करवाना चाहता उक्त प्रकरण को प्रार्थी वापिस लेना चाहता है।

अतः प्रार्थी राकेश कुमार की निगरानी एवं अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर निगरानी इसी स्तर पर खारिज की जाती है एवं दिनांक 25.10.2018 को जारी स्थगन निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड लौटाया जाए एवं पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर दाखिल दफ़तर हो। आदेश आज दिनांक 03.05.2024 को सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

अनूपगढ

